महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन

बच्चों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों का आचरण

क्या न करें

1. बच्चों से तेज़ आवाज़ में बात न करें एवं अपशब्दों का प्रयोग न करें।

2. अनावश्यक रूप से बहुत सारे प्रश्न न पूछें।

3. बच्चों को न तो हथकड़ी पहनायी जाय व न ही लाकअप में रखा जाए।

4. बच्चों को सहज महसूस कराने के लिए उन्हें गले न लगाएं और न ही उनके शरीर का कोई हिस्सा छुएँ ।

5. बच्चों को किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त या सम्भावित अभियुक्त के सामने पड़ने नहीं दिया जाए।

6. बच्चों की पहचान किसी भी स्थिति में मीडिया में उजागर नहीं की जाये।

7. बच्चों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराने के लिए उनके मेडिकल का इंतज़ार न करें।

8. CWC अथवा JJB द्वारा आयु निर्धारण किये जाने तक आधिकारिक रूप से बच्चे की आयु दस्तावेज में अंकित न करें।

9. बच्चों को महिला थाना ना भेजें अपितु बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

10. विधि विरूद्ध बालक को सूर्यास्त के उपरान्त एवं सूर्योदय से पूर्व थाने पर ना लाऐं।

11. किसी विधि विरूद्ध बालक के अंगुष्ठ छाप नहीं लिये जाएं व न ही कोई डोजियर बनाया जाए।

12. किसी विधि विरूद्ध बालक को जब जमानत पर छोड़ा जाए तो उसे समय-समय पर थाने पर न बुलाया जाए, ना ही हस्ताक्षर बनवाये जाएं।